(2)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- कुलपति,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2 — अध्यक्ष

2- पदमश्री रानीलीला राम कुमार भार्गव,
नवल किशोर इस्टेट, हजरतगंज,
लखनऊ । — सदस्य

3- प्रमुख सचिव (वित्त),
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य

4- सचिव (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य

5- सचिव (कृषि),
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य

6- कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । — सदस्य

7- निदेशक पशुपालन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । — सदस्य

8- डा0 ए0के0 रहेजा,
अतिरिक्त महानिदेशक (ई एण्ड बीसी),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली । — सदस्य

9- श्री अकबर अली, विधायक,
उरई, गनेशगंज, जालौन । — सदस्य

10- श्री अमरजीत सिंह जनसेवक,
विधायक, ग्राम-अदमापुर,
पोस्ट-कारसम, बिन्दकी, फतेहपुर । — सदस्य

11- श्री कमलेश कुमार पाठक,
एम0एल0सी0,
भड़ारीपुर, इटावा । — सदस्य

संख्या: सीएसयूपी/सी- 251 /बोर्ड-95 दिनांक: अक्टूबर 18, 1994

महोदय,

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 10-10-1994 को उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, निराला नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,

18/10/94

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

18/10

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 10–10–1994 को उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

1–	डा0 इन्द्र पाल सिंह यादव, कुलपति	– अध्यक्ष
2–	पदमश्री रानी लीला राम कुमार भार्गव,	– सदस्य
3–	डा0 हरिकृष्ण, विशेष सचिव (कृषि)	– सदस्य (कृषि सचिव के प्रतिनिधि)
4–	श्री ए0के0 अवस्थी, संयुक्त सचिव (वित्त)	– सदस्य (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
5–	डा0 राजेन्द्र सिंह, निदेशक पशुपालन	– सदस्य
6–	श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक	– सचिव

मद सं0–1: प्रबन्ध मण्डल की गत 15–6–94 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन

प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक की कार्यवाही निम्न निर्देश के साथ अनुमोदित की गयी :–

DE (1) कृषि अभियन्त्रण एवं टैक्नोलाजी महाविद्यालय, इटावा के कार्यों की प्रगति आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाये ।

आईटम नं0–5: विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने व सत्र 1994–95 से खाद्य पोषण विभाग में एम0एस–सी0 (स्नातकोत्तर) की कक्षायें प्रारम्भ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन के साथ–साथ भरने की अनुमति एवं सम्बन्धित परिव्यय का अनुमोदन ।

A.O. ट्रिटिकेल एवं कठिया योजना के अन्तर्गत रु0 2200–4000के वेतनमान में 6 पदों एवं वेतनमान रु0 1200–2040 तथा रु0 950–1500 के एक–एक पद अथोत कुल 8 पद जो समर्पित किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन पदों के विरुध्द पूर्व में कोई नियुक्ति नहीं हुयी है ।

मद सं0–2: प्रबन्ध मण्डल की गत 15–6–94 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल को गत बैठक में लिये गये निणेयों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया ।

------2

मद सं0-3: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वर्ष 1993-94 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 1994-95 के अनुमानित आय-व्ययक के अनुमोदन का प्रस्ताव

AO(B)

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ प्रदान किया :-

(1) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों पर विद्युत बकाये का विस्तृत विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

(2) शिक्षकों के चयन वेतनमान के बकाये की राशि जो उनके सी0पी0एफ0 खाते में जमा की जानी है तथा मकान किराया भत्ते के अवशेष की धनराशि, कृषि विभाग की बचतों से स्वीकृत कराने हेतु प्रस्ताव शासन को तुरन्त भेजा जाये।

मद सं0-4: दिनांक 5-10-1994 को सम्पन्न हुयी वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 5-10-1994 में प्रस्तुत प्रस्तावों पर दी गयी अनुशंसाओं पर कार्यवाही हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-5: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कार्यक्षेत्र फर्रुखाबाद जनपद में स्थित फसल शोध केन्द्र के परिसर की 0.4 हे0 भूमि कार्यालय भवन के निर्माण के लिये कृषि विभाग को हस्तान्तरित करने की अनुमति ।

DAES

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं0-6: कानपुर प्रांगण में वर्तमान में चल रहे कैम्पस स्कूल के विषय में विचार ।

AO

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि कैम्पस स्कूल के लिये गठित समिति अगर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकार से सम्पर्क करके कैम्पस स्कूल में केन्द्रीय स्कूल की शाखा खोलना चाहती है तो प्रबन्ध मण्डल को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कैम्पस स्कूल के लिये विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा ।

मद सं0-7: डा0 इन्द्र भान सिंह, ब्रीडर राइस की नियुक्ति पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में चीफ साइंटिस्ट के पद पर हो जाने के फलस्वरुप 29-10-1993 से एक वर्ष का अतिरिक्त धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव ।

AO

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह महसूस किया गया कि कथित प्रकरण काफी बिलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रबन्ध मण्डल ने विशेष परिस्थिति में डा0 सिंह को एक वर्ष का अतिरिक्त धारणाधिकार 29-10-93 से सुरक्षित रखे जाने का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि आगे कोई समय बृध्दि प्रदान नहीं की जायेगी ।

मद सं0-8: श्री धर्मेन्द्र सारस्वत, सहायक प्राध्यापक, कृषि अभियन्त्रण का त्याग पत्र 31-5-93 की अपरान्ह से स्वीकृत किये जाने विषयक ।

AO

प्रबन्ध मण्डल ने श्री सारस्वत का त्याग पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया कि यह देख लिया जाये कि श्री सारस्वत के विरुध्द कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है तथा इन पर विश्वविद्यालय के कोई बकाया (ड्यूज) अवशेष नहीं है ।

------3

मद सं0
पूरक–1

AAO(P)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वित्तीय लेखों से सम्बन्धित खातों को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर स्थित राष्ट्रीय कृत बैकों में खोले जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना सैध्दान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के आस–पास के बैकों से वार्ता करके किसी विशेष बैंक में खाता खोलने का प्रसताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

पूरक–2 :

Dean, Vety

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा प्रांगण में उपलब्ध प्रतिरक्षा विभाग की भूमि के अधिक भाग के–बदले में अन्य भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्देश दिया कि प्रतिरक्षा विभाग को दी जाने वाली भूमि एवं प्रांगण में उपलब्ध प्रतिरक्षा विभाग की भूमि का अलग–अलग मूल्यांकन करा लिया जाये तथा सही नक्शा लगाते हुये प्रस्ताव शासन को भेजकर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

पूरक–3 :

Registrar

प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क, प्रश्न–पत्र, अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पारिश्रमिक आदि जो कि विद्वत परिषद के प्रस्ताव सं0–983 दिनांक 4–3–94 द्वारा अनुमोदित है, के सम्बन्ध में विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सूचना के साथ वित्त उप समिति के माध्यम से प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये :–

(1) वर्तमान में लागू दरें क्या हैं ?
(2) प्रस्ताव दरों का आधार क्या हैं ? मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज की प्रवेश परीक्षा में इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

पूरक–4 :

D.E.
A.O.

प्रसार निदेशालय की प्रिटिंग प्रेस योजना में स्वीकृत मशीन मैन एक पद तथा कम्पोजीटर–2 पद के पदनाम बदल कर क्रमशः आफसेट आपरेटर तथा प्लेट मेकर व फीडर मैन करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि आफसेट आपरेटर, प्लेट मेकर व फीडरमैन के पदधारकों को प्रस्तावित वेतनमान राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 में दिया जा रहा हो ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

(सन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

15-10-94

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल